...रीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 11/2021 बाअनवान कलाराम वगै. बनाम रूपाराम वगै.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.04.2022	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उप.। अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि वाद विचाराधीन होने के पश्चात उतरदाता रूपाराम ने जानबुझकर अपीलांट को भूमि से वंचित करने की नीयत से दिनांक 18.09.2020 को अपने पुत्र उतरदाता चूनाराम के पक्ष में दानपत्र निष्पादित कर दिया जिसका म्यूटेशन संख्या 649 दिनांक 25.09.2020 को स्थगन आदेश होते हुए पारित किया और उसके पश्चात उतरदाता चूनाराम ने अपने पक्ष में निष्पादित दानपत्र की भूमि को आगे से आगे से स्थगन आदेश का ज्ञान होते हुए जानबूझकर भूराराम के पक्ष में दिनांक 06.08.2021 बेचान कर दी। खरीददार भूराराम उसी गांव का रहने वाला है जो उतरदाता रूपाराम व उतरदाता चूनाराम के पक्ष का आदमी है जो हर प्रकरण में उनके साथ रहा है भूराराम को इनके जमीन के विवाद का और स्थगन आदेश का पूरा ज्ञान था। अतः अवमानना प्रार्थना—पत्र स्वीकार फरमाया जावे। अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण में स्थगन आदेश प्रभाव में था इसके जानकारी नहीं थी। हाजा न्यायालय के आदेश के की अवमानना किस प्रकार से हुई ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर पेश नहीं किया गया। अतः अवमानना प्रार्थना—पत्र खारिज फरमाया जावे। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर न्यायालय का निष्कर्ष है कि हस्तगत पत्रावली में प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजात पेश नहीं किया गया जिससे यह बात स्पष्ट हो रही हो की रेस्पोडेंटस को हाजा न्यायालय के स्थगन आदेश की जानकारी हो। दस्तोवजात के अभाव में किसी भी पक्षकार पर अवमानना को तय नहीं किया जा सकता है। लिहाजा अपीलांटगण का अवमानना प्रार्थना—पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार नंबर से कम होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे इजलाश सुनाया गया। राजस्व अपील अधिकारी ...	